पंचम् विकास पत्रिका

विकास और स्वशासन पर संवाद हेतु समर्थन द्वारा प्रकाशित

वर्ष : 02 अंक : 10 नवंबर 2022 परस्पर संपर्क हेतु

जन भागीदारी से संभव है जल संकट का समाधान

विकेश कुमार द्वारा

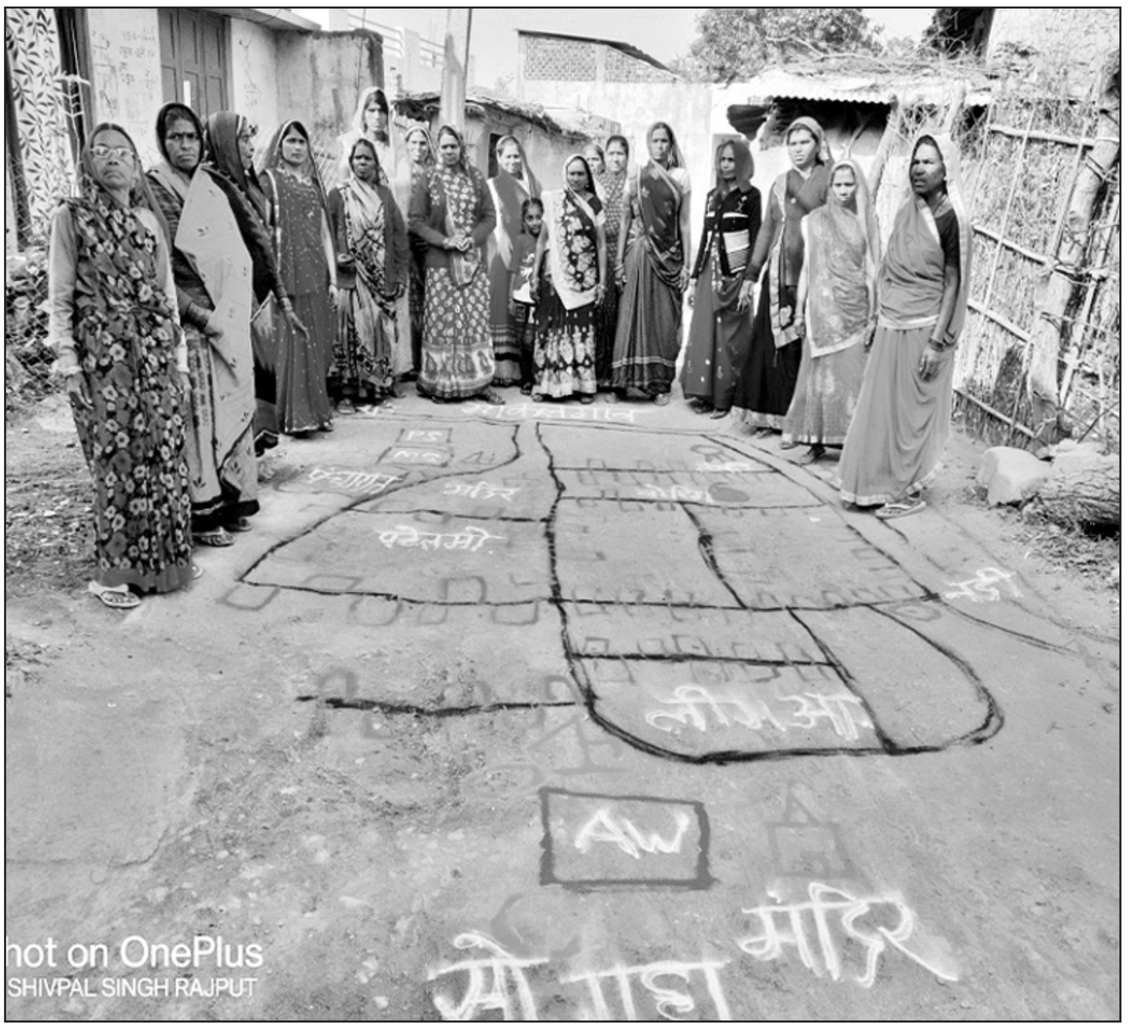

पूरे विश्व में जल संकट एक गम्भीर और बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। जिसने ग्रामीण क्षेत्र की आबादी को सबसे अधिक प्रभावित किया है। मध्यप्रदेश के खंडवा जिले के छै गांवमाखन विकासखंड का मोकलगांव गांव भी इस समस्या से अछूता नहीं था। समर्थन संस्था ने वाटरएड इंडिया के सहयोग से वर्ष 2019 में खंडवा जिले में 'वूमेन एण्ड वाटर एलाइन्स' परियोजना की शुरूआत की। यह परियोजना क्षेत्र की भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक, आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक और स्थानीय ज्ञान के मिश्रण से पानी के संकट का स्थायी समाधान करने पर जोर देती है। जिसमें जल स्रोतों का स्थायित्व, पानी की गुणवत्ता, भंडारण और वितरण व्यवस्था, नल जल योजनाओं का संचालन और रखरखाव, गंदले या ग्रे वाटर का प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं। यह परियोजना महिलाओं, युवाओं और हाशिए पर रहने वालों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देते हुए हर परिवार की जल जीवन मिशन के मानदण्डों के अनुरूप सुरक्षित पेयजल तक पहुंच सुनिश्चित करते हुए जल संरक्षण और प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर समुदाय को जागरूक और सक्षम बनाने पर भी जोर देती है।

मोकलगाँव गाँव में हमने जल जीवन मिशन के महत्व, जल संरक्षण, जल गुणवत्ता और पानी से संबंधित अन्य विषयों पर समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करने रात्रि चौपाल, प्रशिक्षण कार्यक्रम, नियमित बैठकें और जागरूकता रथ आदि के माध्यम से सघन रूप से लोगों को जागरूक करने का काम किया।

हमने समुदाय को गांव में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के उचित कार्यान्वयन से पानी की कमी को स्थायी रूप से कैसे दूर किया जा सकता है इस पर संवेदनशील बनाना शुरू किया। पंचायत प्रतिनिधियों सहित समुदाय के सदस्यों को वीएपी (ग्राम कार्य योजना) तैयार करने के लिए प्रशिक्षित किया गया, महिलाओं, युवाओं और हाशिए पर रहने वाले लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मोहल्ला वार बैठकें आयोजित की गईं। बैठक और प्रशिक्षण के कई दौरों के परिणामस्वरूप, हर घर में स्थायी रूप से सुरक्षित पेयजल की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए समुदाय ने अपनी ग्राम कार्य योजना तैयार करने में सक्रिय रूप से भाग लिया। समुदाय के सदस्यों ने अपने गाँव का सामाजिक और संसाधन मानचित्र तैयार किया और अपने गाँव के लिए आवश्यक पानी के आंकड़ों की गणना की। योजना के तहत उपयोग किए जाने वाले चयनित जल स्रोतों की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जल संरक्षण गतिविधियों की योजना बनाई और गाँव में ग्रे वाटर मैनेजमेंट सिस्टम पर चर्चा की। जेजेएम के दिशा-निर्देशों के अनुसार गांव में एक जल और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) का गठन कर नल जल योजना के कुशल संचालन और रखरखाव के लिए समिति सदस्यों के बीच भूमिका और जिम्मेदारियों का बंटवारा किया।

दूसरे चरण में हमने तकनीकी पहलुओं पर समुदाय की क्षमता निर्माण का काम किया। ग्राम कार्य योजना तैयार करने के बाद, नल जल योजना के कुशल कार्यान्वयन तथा प्रभावी संचालन और रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए समुदाय का संबंधित विषयों पर तकनीकी ज्ञान होना बेहद जरूरी था। नल जल योजना के कार्यान्वयन के लिए पांच प्रमुख तत्वों का चयन किया गया; स्रोत स्थिरता, पानी की गुणवत्ता, संचालन और रखरखाव, भंडारण और वितरण एवं ग्रे वाटर प्रबंधन। समुदाय के सदस्यों, विशेष रूप से पंचायत प्रतिनिधियों को पानी के संरक्षण की आवश्यकता और तरीकों, गंदे पानी के प्रबंधन और स्रोत की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मनरेगा, वित्त आयोग और अन्य उपलब्ध धन का उपयोग करने के तरीके पर प्रशिक्षित किया गया। जेजेएम को सफल बनाने और मोकलगांव गांव में पानी की कमी को दूर करने के लिए नल जल योजना का संचालन और रखरखाव, पानी का भंडारण और वितरण आदि पर वीडब्ल्यूएससी (ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति) सदस्यों का प्रशिक्षण भी एक महत्वपूर्ण तत्व था। महिलाओं और युवाओं का एक समूह बनाकर उन्हें पानी की गुणवत्ता पर प्रशिक्षित किया। उन्हें फील्ड टेस्टिंग किट (FTK) का उपयोग कर विभिन्न मापदंडों पर पानी की गुणवत्ता जांच जैसे पी.एच. स्तर, कठोरता, क्लोराइड आदि का परीक्षण करने हेतु प्रशिक्षित किया गया। इस समूह ने नियमित रूप से गांव के विभिन्न जल स्रोतों के पानी की गुणवत्ता की जांच करने और पानी में कोई अशुद्धता पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई करने की जिम्मेदारी ली। इसके अलावा दो व्यक्तियों को वाटर टेक्नोक्रेट के रूप में भी प्रशिक्षित किया गया। वाटर टेक्नोक्रेट्स को पाइप लाइन में रिसाव, वाल्ब आदि को ठीक करने के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा युवाओं को जेजेएम डैशबोर्ड का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया गया, ताकि वे अपने गांव में जेजेएम के तहत किए जा रहे कार्यों की गुणवत्ता पर निगरानी रख सकें। अब तक हमने रात्रि चौपाल प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अन्य गतिविधियों के माध्यम से लगभग 8 पीआरआई प्रतिनिधियों, 12 वीडब्ल्यूएससी सदस्यों और 470 से अधिक महिलाओं को पानी से संबंधित विभिन्न मुद्दों और जल जीवन मिशन के कुशल और प्रभावी कार्यान्वयन पर प्रशिक्षित किया है।

वीडब्ल्यूएससी सदस्यों ने आपस में भूमिकाएं और जिम्मेदारियां बांट ली। वे नल जल योजना के निर्माण के दौरान पीएचईडी विभाग के अधिकारियों, ठेकेदारों और अन्य महत्वपूर्ण विभागों के साथ लगातार संपर्क में रहे। सदस्यों ने नल जल योजना के निर्माण की वार्डवार निगरानी करने की जिम्मेदारी ली और नियमित अपडेट साझा करने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया। यदि जेजेएम डैशबोर्ड पर दिखाए गए कार्य और वास्तविक कार्य और में कोई विसंगति पाई गई या निर्माण कार्य में कोई अनियमितता या गुणवत्ता में कमी दिखी, तो सदस्यों ने इसकी सूचना तुरन्त पीएचईडी अधिकारियों और ठेकेदार को दी और उन्हें जल्द से जल्द इसे ठीक करने के लिए कहा।

जिस गाँव में महिलाएँ केवल घर के काम में लगी रहती थीं, वह गाँव अब न केवल विभिन्न ग्राम स्तरीय गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग

(शेष पेज 2 पर)

(पेज 1 का शेष)

लेने लगा है बल्कि निर्णय लेने के केंद्र में भी आ गया है। मोकलगाँव में ग्राम कार्य योजना तैयार करने और नल जल योजना के कार्यान्वयन के दौरान अपनाए गए सहभागी और समावेशी दृष्टिकोण के सिद्धांत 'कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए' और 'हर घर के लिए पानी' ने विभिन्न श्रेणियों के समुदायों को एक प्लेटफार्म पर आने में मदद की।

मोकलगाँव दो बस्तियों में बंटा है; एक मुख्य बस्ती है और दूसरी परावा बस्ती है जो मुख्य बस्ती से लगभग एक किमी दूर स्थित है। परावा एक छोटी सी बस्ती है जिसमें 20-25 परिवार हैं, जिनमें से अधिकांश बीपीएल परिवारों के हैं। यह बस्ती सरकार के अधिकांश विकास कार्यों और योजनाओं से हमेशा महरूम रहती है। लेकिन इस बार जेजेएम की पूरी प्रक्रिया में परावा के समुदाय ने भी सक्रिय रूप से भाग लेकर अपनी बस्ती के हर घर में नल कनेक्शन की योजना बनाई।

समुदाय, पंचायत प्रतिनिधियों और वीडब्ल्यूएससी सदस्यों ने अपने गांव में विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाई। नल जल योजना के स्थायित्व के लिए समावेशी योजना बनाई गई। वीडब्ल्यूएससी सदस्यों ने प्रति घर, प्रति माह 60 रुपये नल जल योजना के नियमित संचालन और रखरखाव के लिए और 40 रूपए 10% सामुदायिक योगदान जमा किया जाना तय कर इसे ग्राम सभा से अनुमोदित कराया। समिति ने उन परिवारों के लिए भी कुछ प्रावधान किए हैं जो हर महीने जल शुल्क दे पाने में सक्षम नहीं थे। विभिन्न उपयोग के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जल संरक्षण और ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाई गई। स्रोत स्थायित्व के लिए दो तरफा दृष्टिकोण अपनाया गया। उपलब्ध जल का जिम्मेदारी पूर्ण उपयोग और बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नई संरचनाओं का निर्माण। मोकलगाँव एक कृषि प्रधान गाँव है। कृषि में सिंचाई के लिए 85% से अधिक भूजल की खपत होती है जो भूजल की कमी के प्रमुख कारणों में से एक है। इस कमी को नियंत्रित करने के लिए किसानों को सिंचाई के लिए भूजल के बजाय सतही जल और सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। जिसके लिए उन्हें सूक्ष्म सिंचाई उपकरण प्रदान करने वाली विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ा गया। जल भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए गांव के नालों को गहरा किया गया और दो स्टॉप डैम भी बनाए गए। इसके अतिरिक्त, दो तालाबों, तीन कुओं का निर्माण कराया गया और सिंचाई के लिए सतही जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 12 खेत तालाब भी बनाए गए। किसानों ने भी इस पहल का समर्थन किया, वर्तमान में 15 से अधिक किसानों ने सिंचाई के लिए ड्रिप सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं, जबकि कई अन्य किसान जल्द ही सूक्ष्म सिंचाई पद्धति को अपनाने की दिशा में अग्रसर हैं। भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए दो सरकारी भवनों में और एक व्यक्तिगत घर में रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्थापित किया गया है। समुदाय ने स्रोत स्थिरता के लिए वृक्षारोपण को भी महत्व दिया, गांव में पिछले साल 200 से अधिक पौधे लगाए गए। इसके अलावा गांव में ग्रे वाटर मैनेजमेंट के लिए सामुदायिक स्तर पर 3 और घरेलू स्तर पर 7 सोख्ता गड्ढे बनाए गए हैं। इसके साथ ही ग्रे वाटर का उपयोग कर 2 किचिन गाडर्न भी विकसित किए गए हैं। पंचायत इस वर्ष जल संरक्षण और ग्रे जल प्रबंधन गतिविधियों को बढ़ाने की योजना बना रही है। वर्षा जल संचयन संरचना के लिए तीन भवनों का चयन किया गया है, जबकि ग्रे जल प्रबंधन के लिए सामुदायिक स्तर पर 2 सोक पिट बनाने की योजना बनाई गई है।

जल जीवन मिशन
हर घर में नल, हर नल में जल
WaterAid

हमारे नियमित हस्तक्षेप और क्षमता निर्माण गतिविधियों ने समुदाय को सामूहिक रूप में सोचने और पूरे गांव के विकास के लिए काम करने में मदद की है। मोकलगांव में नल जल योजना का काम पूरा होने वाला है, परावा बस्ती में घर-घर पानी पहुंचाने के लिए एक अलग टंकी लगायी गई है। ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति नियमित रूप से अपनी मासिक बैठक आयोजित कर रही है और नल जल योजना के प्रभावी संचालन के लिए पहले से नियम-कायदे तैयार कर ग्राम सभा से अनुमोदन करा चुकी है। पंचायती राज व्यवस्था के प्रतिनिधियों ने नल जल योजना के उचित संचालन हेतु सार्थक योगदान देना शुरू कर दिया है और नल जल योजना के स्थायित्व के लिए विभिन्न योजनाओं में पानी और स्वच्छता के लिए उपलब्ध धन का उपयोग किया जा रहा है। स्व सहायता समूह की महिलाओं को गांव से सामुदायिक योगदान की राशि जमा कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई जिसके बदले उन्हें तय राशि लाभांश के रूप में दी जायेगी।

जानकारी

आइये जानें पेसा कानून के बारे में

विनोद चौधरी द्वारा

देश में पंचायत राज की स्थापना के बाद यह सवाल सामने आया कि आदिवासी क्षेत्रों में इसे कैसे लागू किया जाए? क्या आदिवासी क्षेत्रों में पंचायत राज व्यवस्था को उसी तरह लागू किया जाए, जैसे की देश के अन्य भागों में लागू की गई है? यह सवाल इसलिए सामने आया कि भारत के संविधान की पांचवी अनुसूची में आदिवासी क्षेत्रों को स्वशासन के विशेष अधिकार की बात कही गई है। यानी उन्हें अपने जमीन-जंगल, रीति-रिवाज, वाद-विवाद और प्राकृतिक संसाधनों के बारे में खास अधिकार प्रदान किए गए हैं। अतः आदिवासी क्षेत्रों में पंचायत राज व्यवस्था को लागू करने के संदर्भ में सन् 1996 में भारत सरकार द्वारा एक विशेष कानून पारित किया गया, जिसे **''पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम) 1996''** कहा गया। इसी कानून को अंग्रेजी में **''पंचायत एक्शटेंशन इन शेडुल्ड एरियाज''(पेसा कानून)** कहा जाता है।

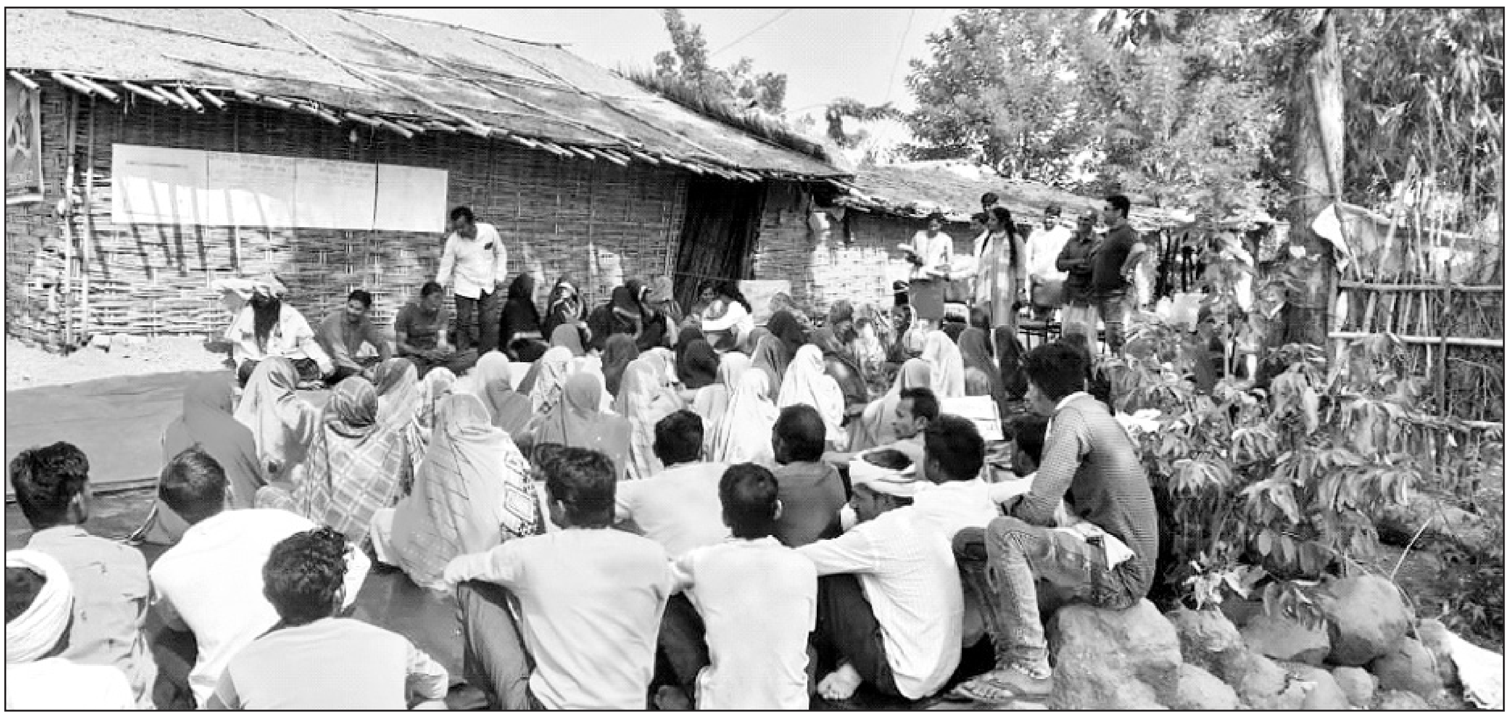

पेसा कानून तो बन गया, लेकिन इस कानून को जमीन पर लागू करने के लिए जो नियम बनाए जाने चाहिए थे, नहीं बन पाने के कारण इसे सम्पूर्ण प्रावधानों के साथ लागू नहीं किया जा सका। लेकिन अब वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा पेसा कानून को लागू करने के नियम बना लिए गए हैं एवं बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर 15 नवंबर 2023 से इन नियमों को लागू भी कर दिया गया है। इस नियम को मध्यप्रदेश पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022 नाम दिया गया है। यह नियम प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र में 20 जिलों, 89 विकासखंडों और उनसे संबंधित 5210 ग्राम पंचायतों तथा लगभग 11757 गांवों में लागू किया गया है। इस नियम में ग्राम सभाओं के अधिकार और कर्तव्यों को बहुत अच्छे से स्पष्ट किया गया है।

टोला/फलिया में भी ग्राम सभा का गठन

आमतौर पर प्रत्येक राजस्व या वन ग्राम की अपनी एक ग्रामसभा होती है। लेकिन पेसा क्षेत्र में, गांव की बसाहटों/टोला/फलिया में निवास करने वाले 50 प्रतिशत से अधिक मतदाआतों की लिखित मांग पर किसी ग्राम में एक से अधिक ग्राम सभा का गठन किया जाना संभव है।

- संबंधित खेड़ा/फलिया/टोला या

(शेष पेज 3 पर)

(पेज 2 का शेष)

गांव के अनुसूचति जनजाति वर्ग के रहवासी मतदाता अलग ग्राम सभा के गठन के लिए उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) के पास आवेदन कर सकते हैं।

- आवेदन पर 50 प्रतिशत से अधिक रहवासी मतदाताओं के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी अनिवार्य है।
- आवेदन के साथ खेड़ा/फलिया/टोला या गांव की सीमा दर्शाता हाथ से बनाया हुआ नजरी नक्शा भी संलग्न करना होगा।

नई ग्राम सभा गठन की प्रक्रिया

- खेड़ा/फलिया/टोला या गांव के 50 प्रतिशत से अधिक मतदाता अलग या नई ग्राम सभा गठन के लिए प्रस्ताव पारित कराकर, उपखंड अधिकारी (राजस्व) के पास भेजेंगे। ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्ताव की एक प्रति कलेक्टर को भेजी जाएगी।
- ग्राम पंचायत को नई ग्राम सभा गठन का प्रस्ताव, जिस तारीख को यह प्रस्ताव पारित हुआ है, से एक माह की अवधि के भीतर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) को भेजना होगा। यदि पंचायत द्वारा एक माह की अवधि में प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी को नहीं भेजा जाता है तो खेड़ा/फलिया/टोला के मतदाताओं की बैठक के अध्यक्ष/सचिव प्रस्ताव को सीधे उपखण्ड अधिकारी को भेज सकते हैं।
- उपखण्ड अधिकारी प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से एक माह के भीतर नई ग्राम सभा गठन हेतु निर्धारित प्रारूप में सार्वजनिक सूचना जारी करेंगे।
- यह सूचना ग्राम सभा क्षेत्र में आने वाली शासकीय पाठशालाओं, यात्री प्रतीक्षालय, सामुदायिक भवन, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, आंगनवाड़ी केन्द्रों एवं शासकीय भवनों आदि पर चिपकाकर तथा डोंडी पिटवाकर एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी।
- इसकी एक प्रति संबंधित जिला कलेक्टर, जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत को भी भेजी जाएगी।
- इस सूचना के जारी होने की दिनांक से एक माह के भीतर कोई भी हितबद्ध व्यक्ति या पक्ष आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकेगा।
- उपखण्ड अधिकारी द्वारा तीन माह की समय सीमा के भीतर प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाएगा।
- उपखंड अधिकारी (राजस्व) स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी संबंधित गांव के मतदाताओं के साथ बैठक कर, प्रस्ताव का सत्यापन करने के लिए निर्णय लेंगे।
- इस सत्यापन में मतदाताओं की वास्तविक उपस्थिति एवं प्रस्ताव में दर्शायी गई सीमाओं पर निश्चित भूचिन्ह का परीक्षण करेंगे।
- किन्हीं अपरिहार्य कारणों से यह प्रक्रिया तीन माह में न हो सकने की स्थिति में, उपखण्ड अधिकारी, कारण का उल्लेख करते हुए कलेक्टर को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
- कलेक्टर, रिपोर्ट में दर्शाए कारणों से समाधान होने पर उक्त प्रक्रिया के लिए एक माह की अवधि बढ़ा सकेंगे। उक्त बढ़ायी गई समय-सीमा की समाप्ति पर, उपखण्ड अधिकारी निर्धारित प्रारूप में उस ग्राम क्षेत्र में आने वाली ग्राम सभा गठन की अधिसूचना जारी करेंगे।
- ऐसी अधिसूचना का प्रकाशन संबंधित ग्राम पंचायत तथा जनपद पंचायत के उपखंड अधिकारी राजस्व के कार्यालय के सूचना पटल पर और ऐसी अधिसूचना से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थान जैसे कि ग्राम सभा क्षेत्र में आने वाली शासकीय पाठशाला, यात्री प्रतीक्षालय, सामुदायिक भवन, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आंगनवाड़ी केन्द्र एवं अन्य शासकीय भवनों आदि पर चिपकाकर, डोंडी पिटवाकर तथा स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन कर किया जाएगा। इसकी एक प्रति संबंधित जिला कलेक्टर, जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत को भी भेजी जाएगी।
- नव गठित ग्राम सभा आगामी माह के प्रथम दिवस से अस्तित्व में आएगी।
- प्रत्येक ग्राम सभा स्वशासी निगमित निकाय होगी तथा उसकी एक सामान्य पदमुद्रा होगी और ऐसी ग्राम सभा के कर्तव्य व अधिकार किसी निगमित निकाय के समान होंगे।
- प्रत्येक ग्राम सभा का कार्यालय उस ग्राम सभा क्षेत्र में होगा।
- साधारणतः ग्राम सभा का कार्यालय किसी शासकीय भवन में होगा, लेकिन शासकीय भवन उपलब्ध न होने की दशा में ग्राम सभा के किसी नागरिक के घर पर होगा। कार्यालय के लिए किसी प्रकार से किराए का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- ग्राम सभा की कार्यवाहियां एवं अन्य सभी अभिलेख ग्राम सभा के कार्यालय में संधारित किए जाएंगे। अभिलेखों की एक प्रति ग्राम पंचायत कार्यालय में रखी जा सकेगी।
- इन नियमों के लागू होने की तारीख से एक वर्ष के लिए राज्य सरकार नई ग्राम सभा गठन की प्रक्रिया को प्रत्येक फलिया या टोला तक पहुंचाने के लिए विशेष जनसंवाद चलाएगी।

ग्राम सभा बैठक की अध्यक्षता

- ग्राम पंचायत के सरपंच, उपसरपंच या पंच द्वारा ग्राम सभा बैठक की अध्यक्षता नहीं की जाएगी।
- ग्राम सभा बैठक की अध्यक्षता, ग्राम सभा के अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला/पुरूष) में से सर्वसम्मति से चुने गए सदस्य द्वारा की जाएगी।
- ग्राम सभा के अध्यक्ष का कार्यकाल आगामी ग्राम सभा की तिथि तक रहेगा।
- कोई व्यक्ति एक से अधिक बार भी ग्राम सभा का अध्यक्ष चुना जा सकता है लेकिन पंचायत के पूरे कार्यकाल के दौरान वह व्यक्ति एक वर्ष से अधिक के लिए अध्यक्ष नहीं चुना जा सकेगा।

ग्राम सभा का सचिव

- ग्राम सभा का सचिव ग्राम पंचायत की सभी ग्राम सभाओं का पदेन सचिव होगा।
- ग्राम सभा बैठक की कार्यवाहियों के अभिलेखों के संधारण की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत सचिव की होगी।
- यदि किसी कारण से सचिव ग्राम सभा में उपस्थित नहीं हो पाता है तो ग्राम सभा अध्यक्ष द्वारा, किसी शासकीय, अर्द्धशासकीय कर्मचारी जैसे शिक्षक, पटवारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, पेसा मोबेलाइजर आदि को सचिव का दायित्व दिया जा सकता है। इनके भी अनुपस्थित होने पर किसी शिक्षित मतदाता को सचिव का दायित्व सौंपा जा सकता है।

ग्राम सभा की तारीख समय और स्थान

- ग्राम सभा की बैठक किसी सार्वजनिक स्थान पर आयोजित की जाएगी। ग्राम सभा की बैठक का स्थान ऐसा होना चाहिए जहां पर ग्राम सभा के हरेक सदस्य को उपस्थित होने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो।
- 10 प्रतिशत या 25 ग्राम सभा सदस्य जो भी कम हो की मौखिक या लिखित मांग पर अध्यक्ष द्वारा 7 दिवस के भीतर ग्राम सभा की बैठक आयोजित करना जरूरी होगा। बैठक आयोजित करने के संबंध में एक से अधिक सदस्यों की मांग होती है तो उन पर भी विचार किया जाएगा।
- ग्राम सभा द्वारा नियमित अंतराल पर ग्राम सभा आयोजित करने का संकल्प पारित किया जा सकता है। नियमित अंतराल पर आयोजित की जाने वाली ग्राम सभा की बैठक की तारीख, समय और स्थान ग्राम सभा द्वारा स्वयं तय किया जाएगा। नियमित अंतराल पर आयोजित होने वाली ग्राम सभा की बैठकों के लिए सूचना देने की आवश्यकता नहीं होगी।
- बैठक ऐसे अन्तराल पर आयोजित की जाएगी जैसा कि ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ कार्य-सूची के आधार पर जरूरी हो, लेकिन तीन माह के अन्तराल पर ग्राम सभा की बैठक आयोजित करना अनिवार्य होगा।

ग्राम सभा बैठक की सूचना

- ग्राम सभा बैठक की सूचना कम से कम 7 दिन पहले दी जाएगी। सूचना पत्र में बैठक की तारीख, समय, स्थान और विचार की जाने वाली कार्य सूची का उल्लेख किया जाएगा।
- किसी आपात स्थिति में लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से तीन दिन पहले सूचना देकर बैठक आयोजित की जा सकती है।
- बैठक की सूचना, ग्राम सभा क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा कर और ग्राम सभा क्षेत्र में डोंडी पिटवाकर दी जाएगी।

ग्राम सभा की संयुक्त बैठक

- ऐसे विषय जिनका संबंध एक से अधिक ग्राम सभाओं से हो उनके लिए संयुक्त रूप से ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जा सकती है।
- संयुक्त ग्राम सभा की बैठक में लिए गए निर्णय को प्रत्येक सहभागी ग्राम सभा द्वारा किया गया निर्णय माना जाएगा।
- संयुक्त बैठक का अध्यक्ष, एकल ग्राम सभा की तरह सर्वसम्मति से उपस्थित सदस्यों के बहुमत के आधार पर चुना जाएगा।
- संयुक्त बैठक की गणपूर्ति तब मान्य होगी जब प्रत्येक ग्राम सभा की गणपूर्ति हो।

ग्राम सभा में निर्णय लेने की प्रकिया

- बैठक में ग्राम सभा के समक्ष लाये गए सभी विषयों पर यथासंभव सर्वसम्मति से निर्णय किये जायेंगे।
- सर्वसम्मति से निर्णय न हो पाने की स्थिति में उपस्थित सदस्यों के ''सामान्य मतैक्य'' से निर्णय लिए जायेंगे। सामान्य मतैक्य का मतलब है कि उपस्थित सभी सदस्य प्रस्ताव के समर्थन में हैं या तटस्थ हैं।
- किसी प्रस्ताव पर मतभेद होने की स्थिति में उस पर निर्णय अगली ग्राम सभा की बैठक में लिया जाएगा।
- अगर लगातार दो बैठकों में भी ऐसे मतभेद वाले प्रस्ताव पर निर्णय नहीं हो पाता है तो बहुमत से निर्णय लिया जाएगा। मतों की संख्या बराबर होने की स्थिति में बैठक की अध्यक्षता कर रहे व्यक्ति का मत निर्णायक होगा।
- ग्राम सभा की बैठक में किसी व्यक्ति को मत देने का हकदार है अथवा नहीं ऐसे विवाद पर ग्राम सभा क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज विवरण को ध्यान में रखते हुए ग्राम सभा के अध्यक्ष द्वारा फैसला किया जाएगा और उनका फैसला अंतिम होगा।

ग्राम सभा का संचालन और अभिलेख संधारण की प्रक्रिया

- बैठक में लिए गए निर्णयों को कार्यवाही पंजी में लिखा जाएगा।
- सचिव द्वारा बैठक में लिए गए निर्णयों को पढ़कर सुनाया जाएगा।
- कार्यवाही पंजी पर अध्यक्ष और सचिव द्वारा हस्ताक्षर किये जाएंगे।
- कार्यवाही पंजी में उपस्थित सदस्यों की संख्या लिखी जाएगी। उपस्थित सदस्यों में से यदि कोई सदस्य कार्यवाही पंजी पर हस्ताक्षर करना चाहे तो उनके हस्ताक्षर करवाए जायेंगे।
- उपस्थिति पंजी अलग से संधारित की जाएगी।
- कार्यवाही विवरण की एक प्रति तीन दिवस के भीतर ग्राम पंचायत को उपलब्ध करायी जाएगी।
- ग्राम पंचायत, ग्राम सभा की सिफारिशों को क्रियान्वित करेगी या करवाएगी।

प्ररूप – एक

(देखिए नियम 3 का उपनियम (3) का खण्ड (ग))

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक-1 सन 1994) की धारा 129-ख की उपधारा (2) के साथ पठित मध्यप्रदेश अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा (गठन, सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन) नियम, 1998 के नियम-4 के उपनियम (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए विहित अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, राजस्व) नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा के भीतर कॉलम (5) में वर्णित (ग्राम/ग्रामों के समूह/मजरा/टोला/आदि के लिए) पृथक ग्राम सभा के गठन के आशय की जानकारी एतदद्वारा प्रकाशित करता है।

उन आपत्ति या सुझावों पर, जो दिनांक .... तक अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्राप्त हो, विचार किया जाएगा और उक्त तारीख के अवसान होने के पूर्व प्राप्त आपत्तियों, दावों या सुझावों पर दिनांक .... को कार्यालय में सुनवायी की जाएगी।

सारणी							
विकासखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	विद्यमान ग्राम सभा में सम्मिलित क्षेत्र	प्रस्तावित ग्राम सभा				
			ग्राम सभा का अनुक्रमांक	ग्राम सभा में सम्मिलित क्षेत्र (ग्राम, मजरा, टोला, पारा)	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक	अन्य ब्यौरा

स्थान :

जारी करने की दिनांक :

विहित अधिकारी

(उपखण्ड अधिकारी, राजस्व)

(शेष पेज 4 पर)

(पेज 3 का शेष)

- आवश्यकता होने पर किसी विभाग के अधिकारी/कर्मचारी को ग्राम सभा की बैठक में शामिल किया जा सकेगा।

ग्राम सभा के निर्णय पर आपत्ति

- ग्राम सभा के निर्णय से असंतुष्ट कोई व्यक्ति या शासकीय विभाग ग्राम सभा के निर्णय से 15 दिवस के भीतर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। जिस पर 30 दिवस के भीतर ग्राम सभा द्वारा पुनर्विचार किया जाएगा।

अपील समिति

- ग्राम सभा द्वारा पुनर्विचार नहीं करने की स्थिति में असंतुष्ट व्यक्ति मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 7-ज के अनुसार अपील समिति के समक्ष अपनी अपील प्रस्तुत कर सकता है। इस अपील समिति के अध्यक्ष जनपद पंचायत के अध्यक्ष एवं संबंधित जनपद पंचायत के सदस्य एवं उपखंड अधिकारी (राजस्व) होते हैं।
- अपील मिलने के बाद अपील समिति द्वारा तथ्यों की जांच की जाएगी। इसके लिए अपील समिति संबंधित ग्राम सभा से आवश्यक रिकार्ड बुलाएगी। सभी पक्षों की सुनवाई करने के बाद अपील समिति द्वारा जल्द से जल्द अपील का निपटारा किया जाएगा। अपील समिति द्वारा किया गया निर्णय अंतिम होगा।

ग्राम सभा बैठक में गणपूर्ति

- ग्राम सभा बैठक की गणपूर्ति कुल ग्राम सभा सदस्यों के एक चौथाई (25%) अथवा 100 जो भी कम हो से पूरी होगी। जिसमें कम से कम एक तिहाई महिला सदस्यों की उपस्थिति जरूरी होगी।
- लेकिन भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, भूमि वापसी तथा सामुदायिक संसाधन के संबंध में 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति से गणपूर्ति होगी। जिसमें कम से कम एक तिहाई महिला सदस्यों की उपस्थिति जरूरी होगी।
- ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति न होने पर अध्यक्ष द्वारा आगामी तारीख या समय के लिए बैठक स्थगित कर दी जाएगी। जिसकी सूचना प्रचलित रीति से दी जाएगी।
- गणपूर्ति के अभाव में स्थगित दो बैठकों में भी गणपूर्ति जरूरी होगी। किन्तु तीसरी बैठक में गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी। लेकिन भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, भूमि वापसी तथा सामुदायिक संसाधन के संबंध में किसी भी निर्णय के लिए दो स्थगित बैठकों के पश्चात भी स्थगित बैठक में कम से कम 25 प्रतिशत सदस्यों की गणपूर्ति अनिवार्य होगी।

(अधिनियम की बाकी जानकारी, क्रमशः दिसम्बर 2022 के अंक में पढ़ें)

प्ररूप – दो

(देखिए नियम 3 का उपनियम (3) का खण्ड (छ))

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक-1 सन 1994) की धारा 129-ख की उपधारा (2) के सहपठित मध्यप्रदेश अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा (गठन, सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन) नियम, 1998 के नियम-5 के उपनियम (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए विहित अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, राजस्व) नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा के भीतर कॉलम (5) में वर्णित के लिए ग्राम सभा (सभाओं) का गठन करते हैं, जो आगामी माह की प्रथम तारीख से अस्तित्व में आएगी -

सारणी							
विकासखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	विद्यमान ग्राम सभा में सम्मिलित क्षेत्र	प्रस्तावित ग्राम सभा				
			ग्राम सभा का अनुक्रमांक	ग्राम सभा में सम्मिलित क्षेत्र (ग्राम, मजरा, टोला, पारा)	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक	अन्य ब्यौरा

स्थान :

जारी करने की दिनांक :

विहित अधिकारी

(उपखण्ड अधिकारी, राजस्व)

फसल विविधीकरण से बढ़ेगी आमदनी

विनोद चौधरी द्वारा, स्त्रोत : कृषक जगत, मध्यप्रदेश, 7 नवंबर 2022

बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण के फैलते विस्तार के कारण कृषि में विविधिकरण आज की महत्वपूर्ण आवश्यकता बनकर उभरी है। उल्लेखनीय है कि कृषि एवं कृषि से जुड़े व्यवसाय के भरोसे टिकी 67 से 70 प्रतिशत आबादी को अब जीने के लिए कृषि के पुराने तरीके छोड़कर नए तौर-तरीकों को अपनाकर आर्थिक उत्थान किया जाना ही एकमात्र रास्ता बचा है। कृषि विविधिकरण हेतु खेती के पारम्परिक तरीकों को बदलकर नए तरीकों को अपनाने का काम जल्द से जल्द किया जाना चाहिए, जो साठ साल पहले होता था। खरीफ अथवा रबी की फसल भूमि, जलवायु, वर्षा की परख करके लगाना और काटना बस, परन्तु आज इतने से काम चलना संभव नहीं है। आज पारम्परिक फसलों की जगह मुनाफे वाली फसलें जैसे, मसाला फसलें, औषधि फसलें, फूल एवं फली की खेती का समावेश कुछ रकबे में किया जाना जरूरी हो गया है। खेती के साथ खेती से प्राप्त बेशुमार कीमती अवशेषों का समुचित उपयोग भी इस पद्धति का उद्देश्य है। खेती के साथ पशुपालन तो मानो सदियों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कार्य है। बीच में मशीनीकरण के चलते जरूर इस दिशा में कुछ शिथिलता आयी थी, वह भी जैविक खेती की संजीवनी के साथ पुनः वापस आने लगी है। मशरूम उत्पादन बिल्कुल कम लागत में खेत के किसी एक कोने में किया जाना संभव है तो मधुमक्खी पालन के लिए खुले में पड़ी थोड़ी सी भूमि का सदुपयोग किया जा सकता है। इन सभी कार्यों को करने के लिए शासन द्वारा विभिन्न कृषि विज्ञान केन्द्रों पर निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त करने की सुविधा है। यही कारण है कि व्यवसायिक फसलों एवं कृषि से जुड़े अन्य व्यवसायों की ओर विविधिकरण का विचार न केवल हमारे देश में बल्कि सभी विकासशील देशों के लिए एक आवश्यकता बनकर उभरा है। ताकि कृषि आमदनी में बढ़ोतरी के साथ-साथ एकल फसल उत्पादन के खतरे से भी बचा जा सके। आमतौर पर यह देखा गया है कि वर्तमान में मानसून के मिजाज में भारी परिवर्तन हो रहा है। इससे निपटने के लिए कृषि में यदि विविधिकरण का विस्तार हो जाए तो मानसूनी खतरों से सरलता से निपटा जा सकता है और एक इकाई क्षेत्र से अधिक आमदनी प्राप्त करने का जरिया भी बनाया जा सकता है।

गरीबी और भुखमरी के पिशाचों से भी पीछा छुड़ाया जा सकता है। खाद्यान फसलें गेहूं, धान में हरितक्रांति प्राप्त करने के बाद से कृषि विविधिकरण ने जोर पकड़ा है। सतत कृषि तकनीक का विकास और विस्तार से कृषकों में एक जाग्रति पैदा हो चुकी है और वे परम्परागत फसलों के स्थान पर फल-फूल, सब्जियां, मशरूम उत्पादन में आगे बढ़ रहे हैं। इस विविधिकरण क्रिया को गति देने में केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं से तथा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। नाबार्ड जैसी संस्था का योगदान कृषि क्षेत्र में विविधिकरण लाने के लिए एक मील का पत्थर जैसा याद किया जायेगा। जिसमें कृषकों को सस्ती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाना भी शामिल है। इन सभी प्रयासों के सुखद परिणाम हमारे सामने हैं। 50 के दशक में गैर खाद्यान फसलों का जो रकबा था उसमें लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देश में खेती योग्य भूमि को बढ़ाना असंभव है परन्तु अन्य संसाधन जैसे विशाल समुद्री तटों पर मछली पालन, फल-फूल का प्रसंस्करण जैसे नवीन कार्यों को हाथ में लेकर इस दिशा में प्रगति करने की अपार संभावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर संवाद

जलवायु परिवर्तन के कारण घटते रोजगार के अवसर एवं खेती में बढ़ता नुकसान भविष्य की चुनौती

विनोद चौधरी द्वारा

स्थानीय समुदाय के अनुभव

जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर मंथन हेतु दिनांक 26 नवंबर 2022 को एक राज्य स्तरीय संवाद कार्यक्रम का आयोजन परमार्थ और समर्थन संस्था के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के 9 से अधिक जिलों के किसानों, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों, शैक्षणिक और प्रबंधन संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विभिन्न जिलों से आये किसानों ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि पिछले कुछ सालों में बाढ़-सूखा सहित अन्य प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता और आवृत्ति दोनों में इजाफा हुआ है। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारत में कृषि के क्षेत्र में परंपरागत बीजों के संरक्षण में अग्रणी कार्य करने वाले पद्मश्री श्री बाबूलाल दहिया ने की।

कार्यक्रम का आयोजन पीपुल्स वर्ल्ड कमीशन के उस उद्देश्य के तारतम्य में किया गया जिसमें प्राकृतिक आपदाओं के कारण समुदाय को होने वाली परेशानियों और चुनौतियों को समझने के लिए दुनिया भर में सूखे और बाढ़ के मुद्दों पर स्थानीय लोगों की आवाज सुनने और विश्लेषण का निर्णय लिया गया है। इस आयोग की अध्यक्षता की जिम्मेदारी मैग्सेसे पुरस्कार और स्टॉकहोम जल पुरस्कार से सम्मानित डॉ राजेंद्र सिंह को सौंपी गई है। यह आयोग बाढ़ और सूखे की परिस्थितियों से निपटने के लिए सिफारिश देने का काम करेगा।

किसानों ने बताया कि बढ़ती हुई प्राकृतिक आपदाओं के कारण खेती में जोखिम बढ़ता जा रहा है। लगातार आने वाली बाढ़, सूखा या ओलावृष्टि से फसल खराब हो जाती हैं और किसान कर्ज में डूबता जाता है। अनेकों संस्थागत व्यवस्थाएं जो किसानों को मददगार हो सकती हैं, जैसे कम ब्याज दरों पर समय से कर्ज, खाद-बीज, फसल बीमा का उचित भुगतान, सिंचाई के लिये समय पर बिजली की उपलब्धता आदि किसानों के लिए मददगार साबित हो सकती हैं। छतरपुर जिले के ग्राम अगरोठा से आए किसान रामतरन लोधी बताया कि, ‘’किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने में पर्याप्त पानी की उपलब्धता और समय पर पर्याप्त बिजली बहुत जरूरी है। परमार्थ संस्था द्वारा हमारे गांव में नदी पर बनाए गए डेम का गांव के कई किसानों को लाभ मिल रहा है। प्रगतिशील किसानों ने जलवायु परिवर्तन के जोखिम को कम करने के लिए उपयोग किए जा रही नई पद्धतियों, फसल विविधता और पारम्परिक खेती के उदाहरणों को प्रस्तुत किया। पन्ना जिले के किसान श्री निरंजन मंडल ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि खेती में जोखिम कम करने के लिए किसानों को खेती से जुड़े आजीविका के वैकल्पिक व्यवसाय जैसे - मुर्गी पालन, बतख पालन, मक्षली पालन को अपनाना होगा। मैं इन्हें अपनाकर अच्छी आमदनी ले रहा हूं।

श्री लोकेन्द्र ठक्कर, डायरेक्टर एप्को ने अपने उद्बोधन में किसानों द्वारा किए जा रहे पर्यावरणीय नुकसान की ओर इंगित किया एवं किसानों को जलवायु परिवर्तन रोकने में अपना योगदान समझने और प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। श्री संजीव गुप्ता, प्राध्यापक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय ने अपनी अनुशंसा में कहा कि हमें जन भागीदारी को बढ़ाने और सामुदायिक विफलता से सीख लेने की जरूरत है। डॉ. सुपर्वा पटनायक, प्रोफेसर अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं। मध्यप्रदेश की परम्परागत खेती के तरीकों जैसे कोदों, कुटकी आदि को जलवायु परिवर्तन की लड़ाई में उपयोगी बताया। डॉ. जार्ज वी. जोसेफ, संयुक्त संचालक आपदा प्रबंध संस्थान ने कहा कि प्रभावितों तक ठीक से और समय पर राहत नहीं पहुंच पा रही है। इसके लिए समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन को बढ़ावा देना होगा। अच्छे उदाहरणों को एकत्र करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री बाबूलाल दहिया ने कहा खेती में बढ़ता पानी का उपयोग भविष्य की सबसे बड़ी चिन्ता है, इसको हमें समझना होगा। भले ही खेती में उत्पादन बढ़ा है लेकिन किसान पहले पेट की खेती करते थे अब सेठ की खेती करने लगे हैं। जिसने किसानों को तबाह कर दिया है। खेती अब जोखिम वाली हो गई है। इससे निपटने के लिए परम्परागत खेती ही हमें मदद कर सकती है।

डॉ योगेश, कार्यकारी निदेशक समर्थन संस्था ने कहा कि अब विमर्श के अवसर कम हो रहे हैं जिन्हें बढ़ाने की आवश्यकता है। स्थानीय समुदाय के अनुभवों को साझा करने के अवसरों को बढ़ाने की जरूरत है। श्री संजय सिंह , प्रमुख परमार्थ संस्था ने कहा कि वैश्विक बाढ़-सुखाड़ जन आयोग की स्थापना पिछले दिनों स्टॉक होम में विश्व जल सप्ताह के दौरान दुनिया भर के विशेषज्ञों द्वारा जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों को रोकने के लिए की गई है। जिसका उद्देश्य भारत सहित दुनिया भर के देशों पर पड़ने वाले प्रभावों के संदर्भ में एक वैश्विक रिपोर्ट को तैयार करना और इसके लिए विभिन्न हितग्राहियों के साथ सार्थक संवाद स्थापित करना। जिसके तहत आज मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में पहले जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां से निकली अनुशंसाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाया जायेगा।

जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने हेतु रणनीतिगत सुझाव

- ग्राम स्तर की आपदा प्रबंधन समितियों को सक्रिय कर समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन प्रणाली को बढ़ावा दिया जाए।
- क्षेत्रवार आने वाली संभावित आपदाओं के प्रकार, कौन सबसे अधिक संवेदनशील है, आपदाओं से निपटने के लिए स्थानीय स्तर पर क्या-क्या संसाधन मौजूद है, इसका आकलन किया जाए।
- प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान का आकलन करने में स्थानीय आपदा प्रबंधन समिति तथा गांव के गणमान्य व्यक्तियों को सहभागी बनाया जाए।
- आपदा के दौरान स्थानीय लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है इसके लिए सामुदायिक जागरूगता लायी जाए। ,
- बिजली कनेक्शन, ट्रांस्फार्मर रखवाने या बदलावाने के लिए किसानों को निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त कोई पैसा या रिश्वत ना देना पड़े, इसकी सख्त निगरानी की जाये।
- प्राकृतिक आपदाओं के कारण समय पर कर्ज अदा ना कर पाने वाले किसानों को डिफाल्टर घोषित कर दिया जाता है, उन्हें दोबारा कर्ज देने की प्रक्रिया सुगम हो ताकि वे सेठ-साहूकारों के चंगुल से बचे रहें।
- किसानों को समय पर पर्याप्त खाद, बीज और बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित हो।
- किसानों के कल्याण के लिए चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में छोटे एवं मध्यम किसानों को जागरूक किया जाये।
- समर्थन मूल्य पर होने वाली सरकारी खरीद में व्यवहारिक कठिनाईयों जैसे भुगतान में देरी, गुणवत्ता में अनावश्यक खामियां आदि को दूर किया जाए ताकि छोटे और मध्यम किसान इन केन्द्रों पर अपनी फसल बेचकर सही दाम प्राप्त कर सकें।
- खेती में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल रोकने के लिए किसानों को जागरूक किया जाए।
- परम्परगत और आधुनिक खेती पद्धति को मिलाकर बीच की कोई ऐसी पद्धति अपनायी जाये जिसमें प्राकृतिक संसाधन विशेषकर पानी के विदोहन और पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को रोका जा सके।
- प्रदेश में जल संरक्षण और संवर्धन पर काम करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा कई सफल मॉडल विकसित किए गए हैं, इनका अध्ययन कर बड़े स्तर पर इनके विस्तार की रणनीति बनायी जाये।
- जिला और राज्य स्तर पर साल में कम से कम एक बार स्थानीय लोगों के साथ इस तरह के संवाद कार्यक्रम आयोजित कर आपदा प्रबंधन के लिए चलाये जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षा की जाए और जरूरत अनुसार सुधार की रणनीति बनायी जाए।

जलवायु परिवर्तन के प्रभाव :
स्थानीय समुदाय के अनुभव

> सीहोर जिले के ग्राम बिजलोन और उलझावन से आए किसान श्री भोलाराम त्यागी और नाथूराम ने बताया कि, ‘बारिश के पानी को संरक्षित कर किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर किया जा सकता है। समर्थन संस्था द्वारा हमारे गांव में स्टॉप डेम, चेकडेम, सोख्ता पिट, रिचार्ज पिट, खेत तालाब का निर्माण और वृक्षरोपण का कार्य कराया गया। पहले हमारे गांव में आधी जमीन में सिंचाई हो पाती थी, अब पूरी जमीन सिंचित है। गर्मी के दिनों में पहले 2-3 किमी दूर से पानी लाना पड़ता था, लेकिन अब पेयजल की समस्या भी खत्म हो गई है।’

जलवायु परिवर्तन का कृषि पर प्रभाव : वर्तमान की एक गम्भीर समस्या

विनोद चौधरी द्वारा, स्रोत : कृषक जगत, मध्यप्रदेश, 12 नवंबर 2022

Reuters/Sherwin

जलवायु परिवर्तन क्या होता है?

किसी क्षेत्र विशेष की परम्परागत जलवायु में समय के साथ होने वाले बदलाव को जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। जलवायु परिवर्तन में आने वाले प्रभाव को एक सीमित क्षेत्र में अनुभव किया जा सकता है और पूरी दुनिया में भी। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन की स्थिति गम्भीर दिशा में पहुंच रही है और पूरी दुनिया में इसका असर देखने को मिल रहा है। संयुक्त राष्ट्र की जलवायु रिपोर्ट में बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन का पर्यावरण के सभी पहलुओं के साथ-साथ वैश्विक आबादी के स्वास्थ्य और कल्याण पर व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अगुवाई में तैयार रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन के भौतिक संकेतों – जैसे भूमि और समुद्र के तापमान में वृद्धि, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि और बर्फ के पिघलने के अलावा सामाजिक-आर्थिक विकास, मानव स्वास्थ्य, प्रवास और विस्थापन, खाद्य सुरक्षा और भूमि तथा समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव का दस्तावेजीकरण किया गया है। जीवाश्म ईंधन के दहन से ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन होता है जो पृथ्वी के चारों ओर लिपटे एक आवरण की तरह काम करता है। यह सूर्य की ऊष्मा को सोखता है और तापमान बढ़ाता है। जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ता तापमान हिम गलन में तेजी ला रहा है, जिससे समुद का जल स्तर बढ़ रहा है और बाढ़ एवं कटाव की घटनाओं में वृद्धि हो रही है।

जलवायु परिवर्तन का कृषि पर प्रभाव

जलवायु परिवर्तन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक पारिस्थितिकी तंत्र को भी प्रभावित करता है। जलवायु में परिवर्तन भूजल पुनर्भरण, जल चक्र, मिट्टी की नमी, पशुधन और जलीय प्रजातियों को प्रभावित करेगा। जलवायु में परिवर्तन से कीटों और रोगों की घटनाओं में वृद्धि होती है, जिससे फसल उत्पादन में भारी नुकसान होता है।

जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि क्षेत्र और भी कई तरह से प्रभावित हो सकता है, जैसे कि :

- जलवायु परिवर्तन मृदा में होने वाली प्रक्रियाओं और मृदा-जल के संतुलन को प्रभावित करता है। मृदा-जल के संतुलन में अभाव आने के कारणवश सूखी मिट्टी और शुष्क होती जाएगी, जिससे सिंचाई के लिए पानी की मांग बढ़ जाएगी।
- जलवायु परिवर्तन के जलीय-चक्रण को प्रभावित करने के परिणामस्वरूप कहीं अकाल तो कहीं बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है, जिससे फसलों को भारी तादाद में नुकसान पहुंचता है।

- हिमांशु वर्मा, सहायक प्राध्यापक, कृषि संकाय, सूरजमल विश्वविद्यालय, किच्छा, उधमसिंह नगर, उत्तराखंड
- मनोज कुमार भट्ट, वरिष्ठ शोध फेलो, जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर, उत्तराखंड
- प्रेरणा नेगी, परास्त्रात्कोत्तर छात्रा, सस्य विज्ञान, एसजीआरआर यूनिवर्सिटी, देहरादून

जागरूकता रथ से जल जीवन मिशन का प्रचार-प्रसार

विनोद चौधरी द्वारा

जल जीवन मिशन
जागरूकता रथ

जल जीवन मिशन का मूल उद्देश्य हर घर तक गुणवत्ता युक्त पर्याप्त पानी पहुंचाना है। ग्रामीण इलाकों में छोटे-छोटे मजरे टोलों के सभी घरों को इस अभियान से जोड़ा जाना है। गांव का कोई भी घर इस अभियान में छूटना नहीं चाहिए।

जल जीवन मिशन के उद्देश्यों और रणनीति से लोगों को अवगत कराने के लिए समर्थन संस्था द्वारा वाटर एड सहायतित ''वूमेन प्लस वाटर अलायंस परियोजना'' के तहत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के संयुक्त तत्वाधान में जागरूकता रथ तैयार कर सीहोर जिले के 50 गांवों में घुमाया गया। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के लक्ष्य, उद्देश्य, जल संरक्षण एवं संवर्धन संबंधी गतिविधियां, जल गुणवत्ता जांच की विधियां एवं वर्ष 2024 तक हर घर में नल जल की सार्थकता की जानकारी प्रदान की गई। जागरूकता रथ के माध्यम से योजना का विस्तृत प्रचार-प्रसार कर जन-जन तक जानकारी पहुंचाई गई एवं योजना के प्रति पंचायत प्रतिनिधियों, समुदाय एवं ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति सदस्यों का संवेदीकरण किया गया। जागरूकता रथ के गांव भ्रमण के दौरान संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच, पंच, जल समिति सदस्यों एवं महिला-पुरूषों ने बड़ी संख्या में भाग लिया।

लोगों को बताया गया कि गत मानसून में अच्छी बारिश होने की वजह से अधिकांश जलाशय अभी भरे हुए हैं, लेकिन जिले के कई गांवों में गर्मी के दिनों में पानी की परेशानी होती है। आने वाले दिनों में पानी की किल्लत न हो इसके लिए हमें जागरूक रहना चाहिए और हर स्तर पर पानी के दुर्पयोग को रोकना होगा और अधिक से जल संरक्षण करना होगा। लोग नल से पानी भरते समय नल खुला छोड़ देते हैं, जिससे बहुमूल्य पानी बेकार बह जाता है। अतः सभी को अपने-अपने घर के नलों में टोंटी अवश्य लगाना चाहिए।

चिन्हित किए गए संवहनीय जल स्रोत विहीन जल स्रोतों के परीक्षण

राज्य शासन द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश के चिन्हित किए गए संवहनीय जल स्रोत विहीन ग्रामों के लिए भूजल और सतही जल स्रोतों के परीक्षण तथा नलजल योजना तैयार करने के लिए उपलब्ध होने वाले जल स्रोतों की उपयुक्तता का आकलन करने स्रोत परीक्षण समिति का गठन किया गया है। प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी की अध्यक्षता में गठित समिति में प्रमुख अभियंता जल संसाधन, सदस्य अभियांत्रिकी नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, निदेशक मैपकास्ट, मुख्य महाप्रबंधक मध्यप्रदेश जल निगम, क्षेत्रीय संचालक केन्द्रीय भू-जल बोर्ड और मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (समस्त परिक्षेत्र) को सदस्य बनाया गया है। अधीक्षण यंत्री मॉनिटरिंग लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी को सदस्य सचिव मनोनीत किया गया है। प्रदेश में चिन्हित किए गए 10 हजार 409 संवहनीय जल स्रोत विहीन गांवों के लिए समिति द्वारा जल जीवन मिशन के मापदण्डों के अनुसार जल स्रोत की उपलब्धता होने की अनुशंसा की जाएगी।

समिति की अनुशंसा पर प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग नलजल योजनाओं की डीपीआर तैयार कर सक्षम स्तर से प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही करेंगे।

महिलाओं की पहल

ग्राम सभा में भाग लेने का संघर्ष

नेहा छाबड़ा द्वारा

उम्र के एक पड़ाव पर आकर व्यक्ति परिस्थितियों से समझौता कर, जो है, जैसा है उसी से अपने को संतुष्ट मान लेता है। या कहें कि व्यक्ति में कुछ नया करने, नया सीखने की इच्छा शक्ति नहीं रह जाती है। लेकिन समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जिन्हें ये मन्जूर नहीं होता। ऐसे लोग हर समय कुछ नया करने और सीखने के लिए तत्पर होते हैं। इनकी कर्तव्य निष्ठा और हौंसलों के आगे, बढ़ती उम्र भी इनके रास्ते में बाधा नहीं बन पाती। झाबुआ जिले के पेटलावाद विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत बरवेट में रहने वाली सुगन दीदी इसका जीता जागता उदाहरण है। 55 साल से अधिक की आयु में उन्होंने अपने हक एवं अधिकारों के बारे में जानकारी हासिल कर अपने अन्दर आत्मविश्वास पैदा किया, लोगों को उनके हक एवं अधिकार दिलाने में सहयोग कर ग्राम पंचायत के अन्दर अपनी पहचान बनायी।

वर्ष 2018 में ट्रांस्फार्मिंग रूरल इंडिया की सहयोगी संस्था समर्थन द्वारा स्थानीय सुशासन को सशक्त बनाने एवं इसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए संचालित परियोजना में ग्राम संगठन ने सुगन दीदी का पंचायत की सचेत दीदी के रूप में चयन किया। सुगन दीदी बताती हैं कि मेरा परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की श्रेणी में आता है। सचेत दीदी चुने जाने से पहले में स्व सहायता समूह से जुड़ी थी, लेकिन समूह की अन्य महिलाओं की तरह मेरी गतिविधि समूह में पैसे के लेन देन तक सीमित थी। न तो कभी स्वयं के विकास के बारे में सोचा है न ही ग्राम और ग्राम पंचायत के विकास के बारे में। जब ग्राम पंचायत की बदलाव दीदी बनीं तो पहली बार संस्था के प्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में अपने परिवार और गांव के विकास का सपना या स्वप्न देखा। संस्था द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था, नागरिकता और आम नागरिकों के अधिकार, ग्राम सभा के महत्व और इसकी ताकत के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की। मैंने प्रशिक्षण से मिली इन जानकारियों को ग्राम संगठन की बैठकों में अन्य दीदियों के साथ साझा किया।

कौन है सचेत दीदी?

ट्रांस्फार्मिंग रूरल इंडिया और उसकी सहयोगी संस्था समर्थन द्वारा प्रदेश के चुनिंदा विकासखंड में एक परियोजना के तहत स्थानीय सुशासन को सशक्त बनाने और इसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं। स्थानीय सुशासन को सशक्त बनाने के लिए चलायी गई यह मुहिम परियोजना की समयावधि के बाद भी चलती रहे इसके लिए हर एक ग्राम पंचायत में ग्राम संगठन की दीदियों में से एक-एक सक्रिय दीदी की पहचान कर, उन्हें पंचायत सचेत दीदी बनाया गया है। जो परियोजना के कामों को आगे ले जाने का काम करेंगी। इन सचेत दीदियों की संस्था ने पंचायती राज व्यवस्था पर प्रशिक्षण और बैठकों के माध्यम से क्षमतावृद्धि भी की है। ये सचेत दीदियां ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के कामकाज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने, समुदाय को पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जागरूक करने और वंचितों को उनके हक एवं अधिकारी दिलाने में सराहनीय काम कर रही हैं।

जब पहली बार ग्राम संगठन की दीदियों के साथ ग्राम सभा में गई, तो देखा कि वहां महिलाएं न के बराबर थी, ज्यादातर पुरूष ही बैठे थे। जब मैं अन्य दीदियों के साथ अन्दर पहुंचकर बैठने लगी तो सरपंच बोलने लगे कि आप यहाँ क्यों आये हो, आपका जो भी काम होगा में घर पर आकर कर दूंगा। तो मैंने (सुगन दीदी) कहा ग्राम सभा की कार्यवाही सुनने और देखने आये हैं। सरपंच पूछने लगे कि आपको किसने भेजा है? तो मैंने कहा, कि अब हमें ग्राम सभा के महत्व और इसकी ताकत के बारे में जानकारी हो गई है, यदि ग्राम सभा में महिलाएं भाग ही नहीं लेंगी तो उनकी समस्याओं के समाधान कैसे होंगे। किसी ने नहीं भेजा है बल्कि हम स्वयं आए हैं। अन्य महिलाओं ने भी मेरी बात का समर्थन किया, जिस पर सरपंच बदतमीजी से बात करने लगा और सभी को ग्रामसभा से जाने के लिये दबाव बनाने लगा और धमकी देने लगा कि, यदि आप यहां से नहीं जाएंगी तो मैं पुलिस को बुलाकर सबको जेल भिजवा दूंगा। बात बढ़ती देख हम सब दीदियां ग्राम सभा से बाहर आ गए। लेकिन सुगन दीदी और ग्राम संगठन की अन्य दीदियां हार मानने वाली नहीं थीं, कुछ महीने बाद जब पुनः ग्राम सभा के आयोजन की सूचना मिली तो ग्राम संगठन की सभी दीदियां, ग्राम की अन्य महिलाओं के साथ पूरी तैयारी के साथ ग्राम सभा में पहुंची। सरपंच ने पुनः विरोध किया तो, सुगन दीदी ने ग्राम पंचायत के सचिव से सरपंच को समझाने का आग्रह किया। सुगन दीदी ने कहा कि यदि ग्राम सभा में हमें बैठने नहीं दिया गया तो हम सब थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराएंगे। सचिव ने सरपंच को समझाया कि महिलाएं सही हैं, यदि आप इन्हें ग्राम सभा में नहीं बैठने देंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही हो सकती है। सचिव की इस बात से सरपंच डर गया और उसने महिलाओं को ग्राम सभा में उपस्थित रहने की अनुमति दे दी। आज दीदियां पूरी तैयारी से आयीं थी, उन्होंने न सिर्फ ग्राम सभा की पूरी कार्यवाही को देखा बल्कि पहले से बनाकर रखी उन हितग्राहियों की सूची, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभ के लिए पात्र थे, लेकिन उन्हें पेंशन नहीं मिल रही थी, ग्राम सभा में सूची रखते हुए सभी को पेंशन का लाभ दिलाने बात कही। इसके अलावा ग्राम में स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रोजगार संबंधी समस्याओं को भी महिलाओं ने ग्राम सभा में उठाया। महिलाओं द्वारा एकजुट होकर ग्राम सभा में बनाए गए दबाव के फलस्वरूप जिन्हें पेंशन नहीं मिल रही थी उनके आवेदन कराए गए तथा कुछ दिन बाद आवेदन की स्वीकृति पर सभी की पेंशन भी प्रारम्भ हो गई। धीरे-धीरे सरपंच और सुगन दीदी के बीच की खटास भी कम होती गई। सरपंच, सचिव को यह बात समझ में आ गई कि महिलाओं की भागीदारी से ही सही मायने में गांव का विकास संभव है। अब जब भी ग्राम सभा का आयोजन होता है, सुगन दीदी को सूचना भेजकर विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता है।

ग्राम पंचायतों में प्रतिनिधियों को यह समझने की जरूरत है कि जहां भी गांव के विकास में स्व सहायता समूह और ग्राम संगठन की महिला सदस्य कोई हस्तक्षेप करती हैं, उनका ध्येय ग्राम पंचायतों के कामकाज में बाधा डालना या कमियां निकालना नहीं है, बल्कि उनका अधिकार होने के साथ-साथ महिलाओं की भागीदारी से ग्राम पंचायत को अपने कामकाज, लोगों को जोड़ने और महिला संबंधी समस्याओं के उचित समाधान में बहुत मदद मिलती है।

गांव विकास को नई दिशा देना चाहती है राजकुमारी परस्ते

सुदर्शन चन्देल द्वारा

मेरा नाम राजकुमारी परस्ते है मैं डिंडौरी जिले के समनापुर विकासखंड में आदिवासी बाहुल्य ग्राम पंचायत सरई माल के ग्राम वितनपुर की रहने वाली हूं। मैं, विगत 7 सालों से आजीविका मिशन से जुड़कर, गांव की दीदियों को आजीविका गतिविधियों से जोड़ने का काम कर रही हूं। पहले मेरी समझ समूह के भीतर पैसों के लेनदेन तक सीमित थी। वर्ष 2018 में ट्रांस्फार्मिंग रूरल इन्डिया की सहयोगी संस्था समर्थन द्वारा संचालित मिशन अंत्योदया कार्यक्रम के अंतर्गत मुझे ग्राम पंचायत की बदलाव दीदी के रूप में चुना गया। जिससे मुझे पंचायत राज व्यवस्था, ग्राम सभा का महत्व एवं इसकी ताकत, नागरिकता, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य जैसे विषयों को जानने, समझने का मौका मिला। इसके अलावा संस्था द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों के माध्यम से शासन द्वारा संचालित अनेक ऐसी योजनाओं की जानकारी भी मैंने हासिल की, जिनके बारे में पहले से नहीं जानती थी। ग्राम पंचायत विकास योजना के बारे में भी पहले महिलाओं को कुछ मालूम नहीं था। महिलाओं को योजना बनाने में शामिल ही नहीं किया जाता था, जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं की समस्याओं के समाधान नहीं हो पाते थे। लेकिन अब महिलाएं ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने में सक्रिय भागीदारी निभाती हैं तथा अपनी जरूरत के काम जीपीडीपी में शामिल कराती हैं। इसके अलावा सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हितग्राहियों को लाभ दिलाने का काम भी मेरे द्वारा किया जा रहा है, जिसमें ग्राम संगठन की अन्य दीदियों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। मेरा लक्ष्य है कि गांव का कोई भी व्यक्ति जो किसी भी योजना के लिए पात्र, लाभ से वंचित न रहे।

बतौर मेट काम की गुणवत्ता का रखती हूं ध्यान

मनरेगा योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत में मुझे मेट भी नियुक्त किया गया है। जब से मैं मेट बनी हूं, अधिक से अधिक जरूरतमन्द लोगों को रोजगार दिलाने का प्रयास करती हूं तथा जो भी काम किए जा रहे हैं, गुणवत्ता युक्त हों इस बात का विशेष ध्यान रखती हूं। किसी को मनरेगा में काम की मांग करना हो या किये कार्यों की मजदूरी लेना हो हर समय मदद के लिए तैयार रहती हूं। मेरे काम करने का तरीका सहयोगात्मक है, जिसके चलते ग्राम पंचायत के साथ भी मेरे मजबूत संबंध हैं।

अधिकार और दायित्वों के प्रति कर रही हूं जागरूक

मैं गांव के लोगों को जागरूक कर गांव के विकास को एक नयी दिशा देना चाहती हूं। चाहती हूं कि गांव के सभी लोग अपने अधिकार और कर्तव्य को जानें, इसके लिए मैं ग्राम संगठन एवं स्व सहायता समूह की बैठकों में महिलाओं को उनके हक एवं अधिकार के बारे में जानकारी देती हूं। इसके साथ ही समय-समय पर समुदाय के बीच जाकर लोगों को भी जागरूक करने का प्रयास कर रही हूं। इसी का परिणाम है कि आज ग्राम सभा और पंचायत के कामकाज में महिलाएं सक्रिय रूप से भागीदारी करने लगी हैं। एक समय था जब लोग ग्रामसभा में जाने से कतराते थे लेकिन अब ग्रामसभा में महिला और पुरुषों की बराबरी की भागीदारी होने लगी है। ये सब देखकर मुझे बहुत खुशी एवं संतुष्टि मिलती है।

बहुत कुछ पा लिया, बहुत कुछ पाना बाकी

सुदर्शन चन्देल द्वारा

अपने, अपने परिवार के और अपने गाँव के विकास के सपने को साकार करने बदलाव दीदी के रूप में आगे आई शारदा दीदी, घर-घर जाकर लोगों को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ दिलाने का काम कर रही हैं। उनका मानना है कि अपने कर्तव्यों का पालन कर गांव में रहकर भी देश के विकास में भागीदार बन सकते हैं।

डिंडोरी जिले के समनापुर विकासखंड में आने वाले ग्राम टिकरिया की रहने वाली शारदा दीदी एक बहुत ही छोटे से परिवार की महिला हैं। समूह में जुड़ने से पहले समुदाय के बीच बोलने में भी कतराती थी। पारिवारिक परिस्थिति ऐसी थी कि उनके लिए स्व सहायता समूह से जुड़ना भी आसान नहीं था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और समूह से जुड़ गई। समूह की बैठकों में जाने लगी, इसके बाद ग्राम संगठन की बैठकों में जाने का अवसर मिला, फिर धीरे-धीरे संकुल स्तरीय संगठन की बैठक में भी जाना शुरू कर दिया। संकुल स्तरीय बैठकों में शामिल होने से विभिन्न सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ सम्पर्क स्थापित हुए और ग्राम पंचायत की बदलाव दीदी बनने का अवसर मिला।

बदलाव दीदी का सफर

ट्रांस्फार्मिंग रूरल इन्डिया की सहयोगी संस्था समर्थन द्वारा समय-समय पर पंचायती राज व्यवस्था के साथ-साथ अन्य नई-नई जानकारियों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। बदलाव दीदी के रूप में मुझे क्या करना है, मैं अच्छे से जान गई। मैंने अन्य दीदियों को भी जागरूक किया तथा उन्हें प्रोत्साहित कर ग्राम सभा में भागीदारी करने के लिए तैयार किया। जो दीदियां कभी ग्राम सभा में जाती नहीं थी, आज ग्राम सभा में उपस्थित होकर ग्राम विकास से जुड़े मुद्दे उठाती हैं और पंचायत में चल रहे कामों की निगरानी भी करती हैं।

कोविड 19 महामारी के दौरान गांव के लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी की व्यवस्था बनाने से लेकर टीकाकरण कराने में भरपूर सहयोग प्रदान किया।

बदलाव दीदी के रूप में चुनौतियां

बदलाव दीदी बनने के बाद जब मैंने गांव में काम करना शुरू किया तो लोग मेरी हंसी उड़ाते थे। कोई मेरा कहना नहीं मानता था। लेकिन मैंने बिना किसी बात की परवाह किए अपना काम जारी रखा। मैंने गांव के कुछ परिवार जो अलग-अलग सरकारी योजनाओं के लिए पात्र थे, लेकिन उन्हें लाभ नहीं मिल रहा था, मैंने उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाया, ग्राम सभा की बैठकों में पूरी जानकारी के साथ मुद्दे उठाए तो मेरे प्रति लोगों का नजरिया बदल गया। आज सभी गांव वाले और ग्राम पंचायत प्रतिनिधि मेरी बात को महत्व देते हैं, और मैं जो कहती हूं उसे न सिर्फ ध्यान से सुनते हैं बल्कि अपनाते और मानते भी हैं। आज जब मैं पुरानी जिन्दगी को याद करती हूं तो ऐसा लगता है कि, मैं बहुत आगे निकल आयी हूं, बहुत कुछ पा लिया है और बहुत कुछ पाना बाकी है।

प्रिय पाठक गण,

पंचम् विकास पत्रिका में प्रकाशित लेखों के संबंध में आपके सुझाव और प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं। आप नीचे दिए गए पते पर पत्राचार कर सकते हैं अथवा नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हॉट्सएप मैसेज के माध्यम से भी हमें अवगत करा सकते हैं।

समर्थन – सेन्टर फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट
36, ग्रीन एवेन्यू, चूना भट्टी, कोलार रोड, भोपाल-462016,
मोबाइल नंबर – 9406546728

प्रकाशन समर्थन, भोपाल :
सम्पादक मंडलः पंकज पांडे, विनोद चौधरी, जीत परमार, ज्ञानेन्द्र तिवारी, शोभा लोधी, नारायण परमार, पंकज गुप्ता, मनोहर गौर
पता : 36 ग्रीन एवेन्यू, चूना भट्टी, भोपाल। परस्पर सम्पर्क हेतु प्रकाशित, मो.9893563713